

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार।


संख्या: 785/आबकारी सहा0-व्य0-2013-14


दिनांक मार्च 23, 2013

आवश्यक सूचना

आबकारी आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या 16612/ सात-लाईसेंस नीति -34/आबकारी नीति- 2013-14/सामा0 निर्देश/विज्ञप्ति/ देहरादून दिनांक 04.03.2013 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2013-14 (01.04.2013 से 31.03.2014 तक) हेतु देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु तीन चरणों में कार्यक्रम निर्धारित कर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। प्रथम चरण में दिनांक 20.03.2013 तक सब्जी मण्डी देशी मदिरा दुकान में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त दुकान के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण के लिये जनपद के निजी आवेदकों से निम्न निर्धारित राजस्व के आधार पर निर्धारित प्रारूप पर 30.03.2013 के अपराह्न 03 बजे तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। द्वितीय चरण हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के आधार पर प्रथम चरण की प्रक्रियानुसार दिनांक 30.03.2013 को 5.00 बजे से पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने तक दुकान का आवंटन किया जायेगा।


कोड संख्या	दुकान का नाम	13-14 हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क	13-14 हेतु निर्धारित कुल MGD	13-14 हेतु निर्धारित कुल राजस्व	हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि	धरोहर धनराशि	प्रतिभूति धनराशि एक माह की	कुल देय प्रतिभूति की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सी-30	सब्जी मण्डी	4237000	38135076	42372076	4237208	423700	3177923	6355846


जिला आबकारी अधिकारी
हरिद्वार।


जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यालय सूचना पट्ट पर दर्शित करने हेतु प्रेषित:-

- 1- तहसीलदार हरिद्वार/रुड़की/लक्सर जनपद हरिद्वार।
- 2- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट हरिद्वार।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हरिद्वार को जनपदीय वेबसाईट WWW.haridwar.govt.in पर अपलोड किये जाने हेतु।


जिला आबकारी अधिकारी
हरिद्वार।